



हरियाणा सरकार



“समर्पित श्रम और सृजन कौशल के धनी श्रमिक भाई देश व प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। हरियाणा सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हम इनकी मूलभूत जरूरतों के साथ-साथ इन्हें आधुनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाते रहें।”  
- नायब सिंह



“सरकार का मार्ग 'श्रम की गरिमा', 'आत्मनिर्भर श्रमिक' और 'गरीबों का कल्याण' है।”  
- नरेन्द्र मोदी

श्रमेव जयते !

# श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह

निर्माण श्रमिकों को 18 योजनाओं के एक लाख से अधिक लाभों का वितरण

दिनांक - 19 जून, 2024 | समय - प्रातः 9 बजे  
स्थान - नई अनाज मंडी, रोहतक रोड, जींद

RO No.:-1089/13/1630/2025/26894/15917



## राज्य स्तरीय समारोह

मुख्य अतिथि

### श्री नायब सिंह

मुख्यमंत्री, हरियाणा

विशिष्ट अतिथि

### श्री मूल चंद शर्मा

श्रम मंत्री, हरियाणा

श्रमिकों को निःशुल्क  
स्वास्थ्य जांच की सुविधा

सभी निर्माण श्रमिक सादर आमंत्रित हैं

## नई पहल

- श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना - अब निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण पर ₹1100 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- कन्यादान एवं विवाह सहायता की 75 प्रतिशत राशि विवाह के तीन दिन पूर्व मिलेगी।
- निर्माण श्रमिकों को ₹3,500 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी।



श्रम विभाग, हरियाणा

कार्यक्रम से जुड़ने के लिए  
क्यू आर कोड  
स्केन करें



सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा



www.prharyana.gov.in



@dipharyana